संख्या-1021/2026/745/22-2-2026-17(407)/2026

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 — *लखनऊ: दिनांक 29 जुलाई, 2026*

विषय:- केन्द्रीय कारागार वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मुरली सिंह पुत्र राम नरेश सिंह, निवासी जनपद-सोनभद्र की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक(मु0) कारागार के पत्र संख्या-13424/प्रोबे0-5-दया0 बैठक-23.02.2026, दिनांक 07.04.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मुरली सिंह पुत्र राम नरेश सिंह, ग्राम-सरौली, थाना-कर्मा, जनपद-मीरजापुर वर्तमान जनपद-सोनभद्र का निवासी है। झुन्नी नदी में पानी लाने गयी थी, जहां आरोपी तेज सिंह ने उसे चिढ़ाया। झुन्नी और उसकी सास ने जिसकी शिकायत आरोपी तेज सिंह के घर वालों से करने के विवाद को लेकर दिनांक 14.08.1983 को 10 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाठी-डण्डा से मारकर सुगवंती व रामसुरेश की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-312/1984 में भा0द0वि0 की धारा-302/149 307/149, 147 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, सत्र न्यायाधीश, मीरजापुर के दण्डादेश दिनांक 14.05.1985 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 16.11.2018 द्वारा बन्दी की अपील निर्णित करते हुये मा0 सत्र न्यायालय द्वारा दी गयी आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 17.07.2025 तक अपरिहार 06 वर्ष, 09 माह, 20 दिन तथा सपरिहार 08 वर्ष 03 माह 07 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा जेल रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 17.07.2025 तक बन्दी की आयु 67 वर्ष, 10 माह एवं मा0 न्यायालय द्वारा प्रदत्त आजीवन कारावास के सापेक्ष दिनांक 17.07.2025 तक अपरिहार 06 वर्ष, 09 माह, 20 दिन तथा सपरिहार 08 वर्ष, 03 माह, 07 दिन की भोगी गयी सजा के सापेक्ष रिहा होने पर समाज में प्रतिकूल संदेश जाने, बन्दी द्वारा कारित अपराध एवं प्रकृति (02 व्यक्तियों की हत्या होने), बन्दी के स्वास्थ्य की दशा सामान्य होने तथा पुलिस अधीक्षक/जिला मजिस्ट्रेट, सोनभद्र द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किए जाने के दृष्टिगत, सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मुरली सिंह (बन्दी संख्या-159/2022) पुत्र श्री राम नरेश सिंह, निवासी जनपद-सोनभद्र की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

कमलेश कुमार

उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-1021/2026/745(1)/22-2-2026 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, सोनभद्र।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।

3- निजी सचिव, मा0 मंत्री कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अभय कुमार त्रिपाठी

अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।